Gautam Buddh Technical University
(Formerly: *Uttar Pradesh Technical University*)
Faculty of Architecture
(Incorporating Former *Lucknow College of Architecture*)
Tagore Marg, Lucknow – 226 007; (U.P) India
Phone: +91 522 2740152 (Telefax);+91 522 2740236 (EPBAX)
Website: www.foa.uptu.ac.in e-mail: dean@foa.uptu.ac.in

गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ
(पूर्ववर्ती : *उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय*)
वास्तुकला संकाय
(पूर्ववर्ती *लखनऊ वास्तुकला महाविद्यालय* संयुक्तित)
टैगोर मार्ग, लखनऊ–226007 (उ.प्र.) भारत
दूरभाष– +91522 2740152(टेलीफैक्स) +91 522 2740236(ईपीबीएक्स)
वेबसाइट: www.foa.uptu.ac.in ई.मेल.: dean@foa.uptu.ac.in

संख्याःलवाम / छा–छाक / (चार)–1 / 11–12 / 1–203 दिनांकः 28 जुलाई, 2011

प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए
समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु सूचना

संस्था के बी0आर्क0 प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति / जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे आने वाले ऐसे समस्त नये छात्रों को, जो उत्तर प्रदेश सरकार के अर्न्तगत जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए नियमानुसार सम्बन्धित शासनादेशों के अर्न्तगत छात्रवृत्ति पाने के लिए सुपात्र हैं तथा निर्धारित सभी नियमों एवं प्रतिबन्धों को पूरा करते हैं, को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सत्र 2008–09 की छात्रवृत्ति के लिए संस्था की वेबसाइट **(www.foa.uptu.ac.in)** में डाउनलोड लिंक के अर्न्तगत उपलब्ध निर्धारित प्रपत्रों को डाउनलोड करके उन पर अपना आवेदनपत्र वांछित प्रमाणपत्रों के साथ विधिवत् रूप में भरकर दिनांक **16 अगस्त, 2011** प्रवेश के समय व्यक्तिगत रूप से संस्था के कार्यालय में प्रस्तुत करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे कि छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में उनकी सुपात्रता हेतु आवेदनपत्रों की जॉच इत्यादि पूरी करके आवेदनपत्र शासन द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर अग्रसारित कराये जा सकें। विलम्ब से प्राप्त एवं अपूर्ण आवेदन पत्र नियमानुसार अस्वीकार्य होगें एवं उन्हें अग्रसारित किया जाना सम्भव नहीं होगा तथा ऐसे में होने वाली किसी भी क्षति के लिए छात्र स्वयं उत्तरदायी होगें। आवेदनपत्र के साथ निम्नलिखित सूचनाएं / प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य हैः

1. **आवेदनपत्र**– हस्ताक्षरयुक्त एक अतिरिक्त फोटोग्राफ सहित विधिवत् पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र।
2. **अभिभावक का घोंषणा–पत्र**– माता–पिता / अभिभावक अपने दो बच्चों के लिए ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र होगें। अतः माता–पिता / अभिभावक द्वारा यह घोषणा करनी होगी कि उनके दो बच्चों से अधिक ने छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की है।
3. **जाति प्रमाण–पत्र**–जाति प्रमाणपत्र प्राधिकृत राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के स्तर से नीचे का न हो, के द्वारा जारी किया जायेगा।
4. **आय प्रमाण–पत्र**–आवेदक के माता पिता / अभिभावक की मासिक आय का प्रमाणपत्र (सभी स्त्रोतों) से सदस्य जो लोक सभा / राज्यसभा / विधान मण्डल / जिला परिषद / नगरपालिका / मुख्य नगर अधिकारी या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। आय प्रमाणपत्र विद्यार्थी के माता पिता द्वारा प्राप्त किये जाने वाले मकान किराये भत्ते को आय में शामिल नहीं किया जाये। *(इसे आयकर के प्रयोजन के लिए शामिल नहीं किया जाता है)* उपरोक्त आय प्रमाणपत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2011 के बाद निर्गत / जारी किया होना चाहिए। आवेदक के माता–पिता यदि सरकारी अथवा निजी क्षेत्र के कार्यालय में सेवा में हों तो उन्हें अपने सेवायोजक द्वारा अद्यतन् रूप से जारी विगत् माह का वेतन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. **बैंक खाता संख्या**–सभी आवेदक छात्र यह नोट करें कि अपना खाता यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्लार्क अवध शाखा, लखनऊ में खोलेगें तथा आवेदन फार्म में निर्धारित स्थान पर खाता संख्या दर्ज करेगें।

ज्ञातव्य है कि जिला समाज कल्याण विभाग के **शासनादेशों के अर्न्तगत यह प्राविधान है कि अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्र या तो प्रवेश की दिनांक को संस्था में अपनी फीस जमा करेगें अथवा छात्रवृत्ति हेतु सुपात्र छात्र अपने आवेदन समस्त वांछित मूल अभिलेखों सहित निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करेगें।** उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे सभी आवेदक जो इस छात्रवृत्ति से लाभान्वित होने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत करते हैं, वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी समस्त सूचनाएं, जाति तथा आय प्रमाणपत्र की जॉच किसी भी समय कराये जाने का निर्देश है और किसी भी अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना तथा फर्जी जाति / आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक / अभिभावक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(प्रो0 मुकुल सिंह)
प्रधानाचार्य / अधिष्ठाता।

निर्धारित प्रपत्रः

1. छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र।
2. अभिभावक का घोषणा पत्र।
3. कम्प्यूटरीकृत किये जाने हेतु फार्म।